भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1851

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

लक्षद्वीप में विद्युत गृह अवसंरचना

†1851. श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप के विभिन्न द्वीपों में अपर्याप्त और पुरानी विद्युत गृह अवसंरचना की जानकारी है, जिसके कारण बार-बार ब्रेकडाउन हो रहा है और सेवा बाधित हो रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लक्षद्वीप प्रशासन से द्वीपों में विद्युत गृहों के आधुनिकीकरण, उन्नयन या पुनर्निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है,

(घ) क्या सरकार को जल प्रदूषण और संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं से बचने के लिए अमीनी द्वीप पर मौजूद विद्युत गृह को उसके वर्तमान घनी आबादी वाले केंद्रीय स्थान से द्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थानांतरित करने की लंबे समय से लंबित मांग की जानकारी है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का जन सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के हित में अमीनी विद्युत गृह के स्थानांतरण को मंजूरी देने और समर्थन देने का विचार है; और

(च) यदि हाँ, तो अमीनी विद्युत गृह के स्थानांतरण सहित लक्षद्वीप में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (च) : विद्युत विभाग, लक्षद्वीप द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की वर्तमान संस्थापित क्षमता 26.26 मेगावाट है, जिसमें 24.56 मेगावाट डीज़ल जेनरेटर (डीजी) सेट तथा 1.7 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से है जबकि लक्षद्वीप में 12.76 मेगावाट की उच्चतम मांग दर्ज की गई है। अतः वर्तमान में लक्षद्वीप की विद्युत मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उपलब्ध है।

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार द्वीपों की ऊर्जा आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करने के लिए विद्युत विभाग, लक्षद्वीप द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित सौर ऊर्जा संयंत्र के समीप स्थित भूमि क्षेत्र की पहचान कर ली गई है जहाँ मौजूदा अमीनी पावर हाउस को स्थानांतरित किया जाएगा। लक्षद्वीप द्वीपों में विद्युत अवसंरचना के उन्नयन का कार्य, जिसमें अमीनी पावर हाउस का स्थानांतरण भी शामिल है, कार्य आवंटन एवं भूमि अधिग्रहण की तिथि से लगभग दो वर्षों में पूर्ण होने की संभावना है।

वर्तमान में चल रही आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत, देशभर में वितरण अवसंरचना के उन्नयन एवं प्रणाली के आधुनिकीकरण, जिसमें स्काडा, संचार आधारित सिस्टम मीटरिंग तथा स्मार्ट प्री-पेड मीटरिंग शामिल हैं, के लिए पात्र डिस्कॉम अर्थात् डिस्कॉम /विद्युत विभागों (निजी क्षेत्र के डिस्कॉम को छोड़कर) को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र की वितरण अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की परिकल्पना विद्युत विभाग, लक्षद्वीप द्वारा उचित वित्तपोषण हेतु आरडीएस के लिए नोडल एजेंसी, पीएफसी के परामर्श से की गई है।

****